राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या -- 380/2012/उदयपुर

श्री हितेश बंसल पुत्र श्री अनन्त कुमार
निवासी 92--ए,जगतमेहता की बाडी
फतहपुरा उदयपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक द्वितीय,उदयपुर व अन्य

.....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप--राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/11/2014

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर वृत उदयपुर के आदेश दिनांक 10.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

वकील निगरानीकर्ता एवं राजकीय उप अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने प्लाट संख्या ई– 188 (जी) इण्डस्ट्रीयल एरिया मदादी, उदयपुर को रीको द्वारा नीलामी में बौली लगा कर क्रय किया है। यह प्लाट पूर्व में मैसर्स गोपी पॉली आर्ट प्रा.लि., उदयपुर को लीज पर दिया गया था और इस कम्पनी ने बैंक ऑफ बडौदा मैन ब्रांच उदयपुर से ऋण सुविधा प्राप्त की थी। कालान्तर में मैसर्स गोपी पॉली आर्ट प्रा. लिमिटेड को घाटों का सामाना करना पडा और वह एक बीमार औद्योगिक ईकाई बन गया। बैंक का ऋण न चुका पाने के कारण बैंक ने इस प्रकरण को डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जयपुर को संदर्भित किया और उनको आग्रह किया कि बैंक ऋण राशि की वसूली करायें इस पर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जयपुर द्वारा यह निर्देश पारित किया कि इस प्लाट को रीको द्वारा नीलाम किया जाय। तदानुसार निगरानीकर्ता ने इस बीमार ईकाई को नीलामी के जरिये रूपये 22.00 लाख में क्रय किया। निगरानीकर्ता द्वारा विक्रय पत्र को उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर उन्होने पंजीयन शुल्क में कोई रियायत नहीं दी गयी जो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.01.1988 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उप पंजीयक के द्वारा विक्रय पत्र को रजिस्टर नहीं करने से व्यथित हो कर निगरानीकर्ता ने विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया और कलक्टर (मुद्रांक) से आग्रह किया कि उनके द्वारा जो राशि विक्रय पत्र को पंजीयन कराने में व्यय हुई है उसे रिफण्ड किया जाय। निगरानीकर्ता का यह कहना है कि विक्रय पत्र का पंजीयन कराने के लिये उनके द्वारा राशि (स्टेम्प डयूटी) अण्डर प्रोटेस्ट जमा करायी थी जिसका रिफण्ड प्राप्त करने का हकदार है। निगरानीकर्ता का कथन है कि विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर ने तथ्यों पर ध्यान नहीं देकर अपने सूक्ष्म आदेश दिनांक 10.01.2012 में केवल यह कहते हुये कि निगरानीकर्ता ने स्टेम्प डयूटी स्वयं जमा करायी है जिससे उसका प्रार्थना पत्र अपास्त कर दिया। अतः इस आदेश व्यथित होकर निगरानीकर्ता ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की है।

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता का कहना है कि धारा 54 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत उपपंजीयक मात्र नोटिस देते है और यदि वांछित राशि जमा करा दी जाती है तो उसमें किसी प्रकार की अग्रिम रेफरेन्श की कार्यवाही नहीं होती है। उनका यह भी कहना है कि निगरानीकर्ता किस आदेश के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष आये है, यह स्पष्ट नहीं है। यदि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.01.1988 से वे अपने आपको आच्छादित मानते है तो इस सम्बन्ध में उपपंजीयक के समक्ष तर्कपूर्ण तथ्यों को रखा जाना था। अब इस स्तर पर राजस्थान कर बोर्ड में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने पुनः इस तथ्य को दोहराया है कि निगरानीकर्ता द्वारा स्वेच्छा पूर्वक पंजीयन शुल्क जमा कराया है अतः अब इसे रिफण्ड करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस प्रकार उन्होने निगरानी अपास्त किये जाने का आग्रह किया।

अपने रिजोण्डर आरग्यूमेन्ट में निगरानीकर्ता ने कहा कि इस प्रकरण में धारा 54 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम लागू नहीं होता है। उनका कहना है कि विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया है। जिस समय दस्तावेज उपपंजीयक के यहां प्रस्तुत किये गये, उस समय उपपंजीयक ने पंजीयन शुल्क लागू होगा अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया परन्तु किसी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कराया गया। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के आदेश दिनांक 10.01.2012 को अपास्त किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के आदेश दिनांक 10.01.2012 में स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थी द्वारा वक्त पंजीयन मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क स्वयं जमा करायी गयी है। इसी आदेश में यह भी लिखा है कि विभाग द्वारा समय–समय पर परिपत्र आदि जारी किये जाते हैं उनमें भी पूर्व में जमा राशि रिफण्ड योग्य नहीं होती है का अंकन किया जाता है। परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.01.1988 में स्पष्ट है कि बीमार औद्योगिक ईकाईयां जिन्हे आई डी बी आई द्वारा परिभाषित बीमार ईकाई को ध्यान में रखते हुये करते हैं या राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान या सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जाय कि हस्तान्तरण के लेख पत्रों को इस अधिनियम के अधीन मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। इस अधिसूचना को यदि बैंक आफ बडौदा के सर्टिफिकेट दिनांक 01.06.2005 के साथ पढा जाय तो यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में मैसर्स गोपी पॉली आर्ट प्रा.लि. को बीमार कम्पनी घोषित किया गया है। दिनांक 01.06.2005 का सर्टिफिकेट श्री पी के शर्मा चीफ मेनेजर बैंक आफ बडौदा की सील एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है। इसके साथ ही डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जयपुर के सर्टिफिकेट नम्बर 137 दिनांक 09.01.2006 से भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत सम्पति श्री हितेश बंसल ने दिनांक 29.09.2005 को सार्वजनिक नीलामी द्वारा क्रय किया है। यद्यपि निगरानीकर्ता ने बीमार औद्योगिक ईकाई होने का कोई भी प्रमाण दिनांक 27.01.1988 की अधिसूचना के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया है फिरभी प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने एक बीमार औद्योगिक ईकाई को जरिये सार्वजनिक नीलामी क्रय किया है और इस प्रकार वह राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.01.1988 से आच्छादित है और उसमें निहित परिलाभ उन्हे देय है।

अतः दिनांक 10.01.2012 का कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः उन्हे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर तथ्यों की जांच कर निर्णय करें कि क्या निगरानीकर्ता वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.01.1988 की परिधि में आता है अथवा नहीं। यदि ऐसा है तो यह भी निर्देशित किया जाता है कि निगरानीकर्ता फर्म को राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप वांछित राहत प्रदान करें।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष